

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र0 03-पेंशन-02/2024

4370

खाद्य, पटना/दिनांक- 01/10/2024

प्रेषक,

सृष्टि प्रिया,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

विषय :- श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के दिनांक 22.10.2023 का स्थगित एक दिन का वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक-2330/गो0 दिनांक-14.08.2024 के माध्यम से श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के आलोक में उनसे की गयी स्पष्टीकरण की समेकित विवरणी उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु अनुरोध विभाग को प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त, उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना का पेशन/उपादान/रूपांतरण अदायगी संबंधी आदेश महालेखाकार बिहार, पटना द्वारा निर्गत किये जाने के पश्चात् आपका उपरोक्त पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के दिनांक-22.10.2023 का एक दिन का स्थगित वेतन का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के दिनांक 22.10.2023 का स्थगित एक दिन का वेतन भुगतान करने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


01/10/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- प्र0 03-पेंशन-02/2024

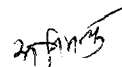
4370

खाद्य, पटना/दिनांक- 01/10/2024

प्रतिलिपि-विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रशाखा पदाधिकारी-08 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री शशि भूषण कुमार, (सेवानिवृत्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा), पत्राचार पता-संध्या हाईट्स, गैस गोदाम गली, जकरियापुर, पो0-शाखा डाकघर पहाड़ी पटना, थाना-रामकृष्णा नगर, पटना, पिन-800007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

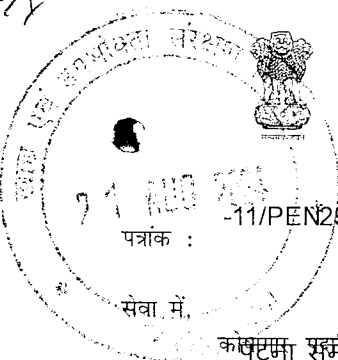

01/10/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।



052

13



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) BIHAR, PATNA

पेंशन / उपादान / रूपांतरण अदायगी आदेश
PENSION / GRATUITY / COMMUTATION PAYMENT ORDER

11/PEN290724111908/202411111131P0

12-Aug-2024

दिनांक : FORM NO : 111110018120824

PPO NO. :- 202411111131P0

GPO NO. :- 202411111131G0

सेवा में,

कोषागार प्रशासक, महालेखाकार कार्यालय

विषय: श्री शशि भूषण कुमार (से० नि० उप अनुभाजन पदाधिकारी)
पेंशनादि के भुगतान के संबंध में।

धारक पी०पी०ओ० संख्या: 202411111131P0 के पक्ष में

महोदय/महोदया श्री शशि भूषण कुमार (से० नि० उप अनुभाजन पदाधिकारी)

48300

(1) मैं अड़तालीस हजार तीन सौ मात्र

के पक्ष में 12/08/2024

की दर से दिनांक

से देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन भुगतान हेतु पेंशन अदायगी आदेश संलग्न कर रहा हूँ।

2000000/-

(2) स्वीकृत मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान ₹ 10,000/- में से भुगतान की गई औपबोधिक मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान वसूली नब्बे हजार वसूली लब्ध राशि ₹ श्री शशि भूषण कुमार से हटाने के लिए मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान का भुगतान को किया जाए।

(3) (अ) मूल पेंशन रुपांतरण देय नहीं / कोई बदलाव नहीं

का भुगतान

को देय है। रूपांतरण के बाद घटा हुआ पेंशन प्रतिमाह ₹

होगा।

(आ) रूपांतरण के फलस्वरूप घटायी गई पेंशन ₹

मात्र प्रतिमाह की दर से

को, दिनांक

से या पेंशनभोगी द्वारा पेंशन रूपांतरित मूल्य की प्राप्ति की तिथि से या इस प्राधिकार-पत्र के निर्गत होने के तीन महीने बाद जो भी पहले हो, अदा की जाय।

यह व्यय शीर्ष "2071-पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ",

सरकार को विकलनीय होगा। राहत मूल पेंशन पर अनुमान्य होगा।

उपर्युक्त वर्णित राशि का भुगतान एवं पी०पी०ओ० बुक में वर्णित शर्तों के अधीन होना चाहिए।

अनुलग्नक :

1. उल्लेखित पी०पी०ओ० के दोनों अर्द्धभाग
2. फोटो और नमुना हस्ताक्षर / पेंशनर के पारिवारिक सदस्य की सूची।

भवदीय

हस्ताक्षर

-11/PEN290724111908/202411111131P0

12-Aug-2024

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

पत्रांक: पेन. श्री शशि भूषण कुमार (से० नि० उप अनुभाजन पदाधिकारी)

दिनांक :

प्रतिलिपि संध्या हाईट्स, गैस गोदाम गली, जकरियापुर, पो-शाखा डाकघर पहाड़ी पटना, थाना - रामकृष्णा

1. नगर, पटना, पिन:-800007

(क) पेंशनभोगी को भुगतान प्राप्त करने के लिए कोषागार पदाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए।

(ख) अपने पेंशन का भुगतान प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को सरकारी क्षेत्र के बैंक से सम्पर्क करना चाहिए।

(ग) राशि का भुगतान खाते एवं उपभोक्ता सुरक्षण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) राशि का भुगतान प्रमाण-पत्र / अन्तिम प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

(ङ) राशि का भुगतान प्रमाण-पत्र / अन्तिम प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

3506

26-Jul-2024

उनके पत्रांक

दिनांक

के प्रसंग में सूचना